

कार्यालय वन मण्डलाधिकारी, सामान्य वनमण्डल ग्वालियर (म0प्र0)

सेन्ट्रल नर्सरी, केप्टन रूप सिंह स्टेडियम के पास, सिटी सेन्टर, ग्वालियर (म0प्र0)

Phone : 0751-2341166, Fax : 0751-2341166, E-Mail : dfotgwa@mp.gov.in

क्रमांक/मा.चि./22/ 4700.
प्रति,

ग्वालियर दिनांक 9/3/2022

प्रबंधक

रिलायन्स जियो इन्फोकॉम लिमि.

03 ब्लॉक नं.-1 डी0बी0 सिटी

एम0पी0 नगर भोपाल (म0प्र0)

विषय-ग्वालियर जिले के अन्तर्गत Jio Infocom Ltd. द्वारा Gwalior-Ghatigaon Route में ओ.एफ.सी. लाईन डालने हेतु 0.625 हेक्टेयर वन भूमि की राईट ऑफ वे में आप्टिकल फायबर लाईन डालने हेतु सैद्धांतिक स्वीकृति जारी करने बावत।

(Proposal No.-FP/MP/OFC/146520/2021)

- संदर्भ- (1) म.प्र. शासन वन विभाग मंत्रालय बल्लभ भवन भोपाल के ज्ञापन क्रमांक एफ-5/18/2002/10-3 भोपाल दिनांक 18.11.2004, क्रमांक एफ-5/18/2002/10-3 भोपाल दिनांक 14.12.05, एवं पत्र क्रमांक एफ-5/18/2002/10-3 भोपाल दिनांक 01 जुलाई 2009
(2) अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (भू-प्रबंध) म0प्र0 भोपाल का पत्र क्रमांक/एफ-5/विधि/2021/10-11/1523 दिनांक 29.04.2022
(3) अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक ग्वालियर वृत्त ग्वालियर का पत्र क्रमांक/मा.चि./22/2064 दिनांक 27.04.2022
(4) आवेदक संस्था रिलायन्स जियो इन्फोकॉम लिमि. भोपाल का पत्र का पत्र दिनांक 28.08.2021
(5) उप वनमण्डलाधिकारी ग्वालियर का पृ0 क्रमांक 494 दिनांक 14.02.2022 एवं वन परिक्षेत्राधिकारी ग्वालियर का पत्र क्रमांक 444 दिनांक 08.02.2022
(6) उप वनमण्डलाधिकारी घाटीगांव का पृ0 क्रमांक 318 दिनांक 17.03.2022 एवं वन परिक्षेत्राधिकारी घाटीगांव उत्तर का पत्र क्रमांक 339 दिनांक 09.03.2022

विषयांकित संदर्भित पत्रों के प्रकरण में लेख है कि ग्वालियर जिले के अन्तर्गत Jio Infocom Ltd. द्वारा Gwalior-Ghatigaon Route में ओ.एफ.सी. लाईन डालने हेतु वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत परिवेश पोर्टल पर ऑनलाईन प्रस्ताव के संलग्न नक्शों में दर्शाये अनुसार निम्न क्षेत्र में आप्टिकल फायबर लाईन डालने हेतु वन भूमि प्रस्तावित की गई है, उक्त प्रस्तावित आप्टिकल फायबर लाईन में प्रभावित होने वाली वन भूमि का विवरण निम्नानुसार है :-

क्र.	परिक्षेत्र का नाम	कक्ष क्रमांक	लंबाई मी.में	चौड़ाई मी.में	कुल रकबा हे.में
1	ग्वालियर	RF 21	800	0.5	0.04
2	—	RF 23	1800	0.5	0.09
3	—	RF 24	200	0.5	0.01
4	—	RF 46	1700	0.5	0.085
5	—	RF 45	600	0.5	0.030
6	—	RF 17	500	0.5	0.025
7	—	RF 16	3900	0.5	0.195
	योग		9500	0.5	0.475
8	घाटीगांव उत्तर	P229 P231	3000	0.5	0.15
	योग				0.625

उपरोक्तानुसार म.प्र. शासन वन विभाग के पत्र क्रमांक एफ-5/18/2002/10-3 भोपाल दिनांक 18.11.04 एवं पत्र दिनांक 14.12.05 एवं भारत सरकार के ज्ञापन क्रमांक 11-9/98-एफ.सी.

दिनांक 26.12.07. एवं म.प्र. शासन वन विभाग मंत्रालय बल्लभ भवन भोपाल के ज्ञापन क्रमांक एफ-5/18/2002/10-3 भोपाल दिनांक 01 जुलाई 2009 के पालन में ग्वालियर-घाटीगांव तक वन क्षेत्र में राईट ऑफ वे के अंतर्गत प्रस्तुत प्रस्ताव एवं नक्शों के अनुसार राईट ऑफ वे में डाली जा रही आप्टीकल फायबर लाईन हेतु अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (भू-प्रबंध) म0प्र0 भोपाल के पत्र क्रमांक/एफ-5/विविध/2021 /10-11/1523 दिनांक 29.04.2022 एवं अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक ग्वालियर वृत्त ग्वालियर के पत्र क्रमांक/मा.चि./22/2064 दिनांक 27.04.2022 से की गई अनुशंसा उपरान्त निम्नलिखित शर्तों के अधीन सैद्धांतिक स्वीकृति जारी की जाती है :-

- 1-वन भूमि का वैधानिक स्वरूप अपरिवर्तित रहेगा ।
- 2-राष्ट्रीय उद्यान एवं अभयारण्य के क्षेत्र में यह स्वीकृति लागू नहीं होगी।
- 3-वनभूमि व्यपवर्तन की स्वीकृति ग्वालियर से घाटीगांव तक राईट ऑफ वे के अन्तर्गत आने वाले वन क्षेत्र से गुजर रहे मार्ग के राईट ऑफ वे में आप्टीकल फायबर लाईन डालने के लिये प्रदान की जा रही है। यदि आवेदक संस्था द्वारा प्रस्तुत नक्शों में दर्शाये हुये क्षेत्र से पृथक कार्य करती है तो यह स्वीकृति स्वमेव निरस्त मानी जावेगी।
- 4-आप्टीकल फाईबर केवल लाईन बिछाने हेतु आपके द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव में उल्लेखित क्षेत्र में ही कार्य किया जावेगा। इसके अतिरिक्त क्षेत्र का उपयोग करने पर कार्य उल्लंघन की श्रेणी में माना जायेगा तथा उक्त जारी स्वीकृति तत्काल प्रभाव से स्वमेव निरस्त मानी जावेगी।
- 5-मध्यप्रदेश शासन वन विभाग मंत्रालय बल्लभ भवन भोपाल के आदेश क्रमांक एफ-5/16/2000/10-3 भोपाल दिनांक 12 सितम्बर 2008 के बिन्दु क्रमांक-03 के अनुसार "अण्डर ग्राउण्ड ऑप्टीकल फायबर केबिल लाईन डालने में किसी भी वृक्ष की कटाई न होने तथा क्षेत्र राष्ट्रीय उद्यान व अभयारण्य के बाहर होने के कारण नेट प्रजेन्ट वेल्यू की राशि में पूर्ण छूट प्रदान की गई है। अतः आप वचन पत्र प्रस्तुत करें कि यदि भविष्य में शासन/वरिष्ठ द्वारा नेट प्रजेन्ट वेल्यू निर्धारित की जाती है तो आवेदक संस्था जमा करने हेतु वचनबद्ध है।
- 6-राईट ऑफ वे में आप्टीकल फायबर लाईन डालने में आने वाले वन क्षेत्र में खड़े वृक्षों को काटा नहीं जायेगा। (आवेदक संस्था द्वारा इस आशय का प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जावे कि कार्य के दौरान वृक्ष नहीं काटे जायेंगे) यदि झाड़ झक्कड़ इत्यादि की कटाई होती है तो वनचौकी बीलपुरा एवं भटपुरा के प्रभारी से सम्पर्क साधकर उनकी देखरेख एवं निर्देशन में कार्य करना अनिवार्य होगा। और झाड़ झक्कड़ की वनोपज वनचौकी बीलपुरा एवं भटपुरा के आधिपत्य में दी जाना अनिवार्य होगी।
- 7-वन भूमि का उपयोग प्रस्तावित आप्टीकल फायबर लाईन डालने के अलावा अन्य कार्य के लिये नहीं किया जावेगा।
- 8-आप्टीकल फाईबर केवल लाईन बिछाने के उपरांत खोदी गई खंती से निकाली गई मिट्टी/पत्थर से आपके द्वारा अपने व्यय पर समतलीकरण का कार्य किया जाना अनिवार्य होगा। समतलीकरण कार्य के लिये मिट्टी तथा पत्थर की आवश्यकता हो तो वनक्षेत्र से उत्खनन कार्य नहीं किया जावेगा। यदि समतलीकरण कार्य आपके द्वारा मौके पर नहीं किया जाता है तो दी गई स्वीकृति स्वमेव निरस्त मानी जावेगी।
- 9-यदि आपके द्वारा अधिकृत ठेकेदार/कम्पनी के द्वारा वन या वन भूमि को किसी प्रकार की क्षति पहुंचाई जाती है तो उससे जो वनक्षेत्र की हानि का आंकलन वन परिक्षेत्राधिकारी ग्वालियर, घाटीगांव उत्तर द्वारा निर्धारण किया जावेगा। उसके अनुसार वसूली की कार्यवाही आपसे की जावेगी। जो आपके द्वारा अनिवार्य रूप से देय होगी।
- 10-यदि आपके द्वारा उक्त प्रस्तावित आप्टीकल फायबर लाईन के अतिरिक्त अन्य कोई कार्य किया जाता है तो पृथक से अनुमति प्राप्त की जाना अनिवार्य होगी।
- 11-म.प्र. शासन वन विभाग, वरिष्ठ अधिकारी एवं वन मण्डलाधिकारी द्वारा प्रकरण में भविष्य में अन्य कोई भी शर्त अधिरोपित की जाती है तो आवेदक विभाग मानने के लिए बाध्य होगा। इस आशय का वचन पत्र प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य होगा।
- 12-यदि आवेदक संस्था द्वारा प्रदान की गई स्वीकृति के अतिरिक्त रोपित शर्तों व वन अधिनियमों का किसी भी प्रकार से मौके पर उल्लंघन किया जाता है तो जारी की गई स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिया जावेगा।
- 13-यदि अधिरोपित शर्तों का आवेदक संस्था द्वारा उल्लंघन किया जाता है तो आवेदक संस्था स्वयं जिम्मेदार होगी।

14-आवेदक संस्था द्वारा जिस राईट ऑफ वे क्षेत्र पर आप्टिकल फायवर लाईन डाली जा रही है। उक्त क्षेत्र का प्रस्तावित नक्शा के अनुसार मौके पर कार्य के दौरान नक्शा रखना अनिवार्य होगा। उक्त नक्शे में जो क्षेत्र चिन्हांकित है उसी क्षेत्र में आप्टिकल फायवर लाईन डाली जावेगी। यदि नक्शे के अनुसार मौके पर कार्य नहीं होना पाया जाता है तो उक्त दी गई स्वीकृति को तत्काल निरस्त कर दिया जावेगा।

15-उक्त राईट ऑफ वे में आप्टिकल लाईन डालने का कार्य वन विभाग के संबंधित वन परिक्षेत्राधिकारी एवं वनचौकी प्रभारियों की देखरेख में किया जावेगा।

16-कार्य मजदूरों द्वारा कराया जावेगा, मशीन द्वारा नहीं कराया जावेगा।

17-प्रस्तावित आप्टिकल फायवर लाईन डालने के दौरान मजदूरों द्वारा वन क्षेत्र में कैम्प नहीं लगाया जायेगा और न ही वन क्षेत्र से कोई लकड़ी काटी जायेगी।

म.प्र. शासन वन विभाग के ज्ञापन क्र. एफ-5/18/2002/10-3 भोपाल दिनांक 18 नवम्बर 2004 एवं म.प्र. शासन वन विभाग मंत्रालय बल्लभ भवन भोपाल के ज्ञापन क्रमांक एफ-5/18/2002/10-3 भोपाल दिनांक 01 जुलाई 2009 एवं अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (भू-प्रबंध) म0प्र0 भोपाल के पत्र क्रमांक/एफ-5/विविध/2021 /10-11/1523 दिनांक 29.04.2022 एवं अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक ग्वालियर वृत्त ग्वालियर के पत्र क्रमांक/मा.चि./22/2064 दिनांक 27.04.2022 से की गई अनुशंसा के पालन में उपरोक्त अधिरोपित शर्तों के आधार पर सैद्धांतिक स्वीकृति जारी की जाती है। आप शर्त क्रमांक 01 लगायत 17 तक शर्तवार (वचन-पत्र) पालन प्रतिवेदन अनिवार्य रूप से इस कार्यालय में प्रस्तुत करें। पालन प्रतिवेदन प्राप्त होने के उपरान्त ही औपचारिक स्वीकृति जारी करने की आगामी कार्यवाही की जावेगी।

(ब्रिजेन्द्र श्रीवास्तव)

वनमण्डलाधिकारी

सामान्य वनमण्डल ग्वालियर

दिनांक 9/5/2022

पृ0 क्रमांक/मा.चि./ 4701.
प्रतिलिपि-

1. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कक्ष-भू-प्रबंध) भोपाल म0प्र0 की ओर आपके पत्र क्रमांक/एफ-5/विविध/2021 /10-11/1523 दिनांक 29.04.2022 के संदर्भ में सूचनार्थ संप्रेषित।
2. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक ग्वालियर वृत्त ग्वालियर की ओर आपके पृ0 क्रमांक/मा.चि./22/2064 दिनांक 27.04.2022 के संदर्भ में सूचनार्थ।
3. कलेक्टर जिला ग्वालियर की ओर सूचनार्थ संप्रेषित।
4. उप वनमण्डलाधिकारी ग्वालियर एवं घाटीगांव की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
5. वन परिक्षेत्राधिकारी ग्वालियर एवं घाटीगांव उत्तर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

वनमण्डलाधिकारी

सामान्य वनमण्डल ग्वालियर

Received
[Signature]